पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2017 ई0 (चैत्र 18, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–14

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	425–449	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	89–96	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

25 मार्च, 2017 ई0

संख्या 167/XX-3-2017-13(06)2017–श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946) की धारा–6 के अनुसरण में जनपद ऊधमसिंह नगर के थाना पंतनगर पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2017 अन्तर्गत धारा 167/218/219/409/420/410/466/467/468/471/474/120बी/34 भादवि के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of the India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 167/XX(3)-2017-13(06)2017** Dehradun, dated March 25, 2017 for general information.

NOTIFICATION

March 25, 2017

No. 167/XX(3)-2017-13(06)2017--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extention of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 32/2017u/s 167/218/219/409/420/410/466/467/468/471/474/120B/34 IPC registered at Police Station Pantnagar, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and in the name of the Governor of Uttarakhand,

S. RAMASWAMY,
Chief Secretary.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

25 मार्च, 2017 ई0

संख्या 625/X-1-2016-04(06)/2014टी0सी0–01–तात्कालिक प्रभाव से सुश्री कहकशां नसीम, भा0व0से0 (2010), प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को अग्रिम आदेशों तक मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

2. तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक डा0 चन्द्रशेखर सनवाल, भा0व0से0 (2010), प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी अतिरिक्त रूप से ग्रहण करेंगे।

3. सम्बन्धित अधिकारी अपनी सम्बद्धता के स्थान पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव।

ऊर्जा अनुभाग–01

अधिसूचना

17 मार्च, 2017 ई0

संख्या 134/I/2017–01(03)/10/2003–श्री राज्यपाल महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 36) की धारा 180 की उपधारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 3 एवं विनियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और प्रस्तुत विषय पर विद्यमान सभी नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करते हुए विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये जाने हेतु निम्नलिखित विनियम एवं शर्तें बनाते हैं:–

विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये जाने के लिए विनियम एवं शर्तें, 2016

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये जाने के लिए विनियम एवं शर्तें, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

उद्देश्य

2. ये शर्तें विद्युत ठेकेदारों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युत अधिष्ठापन का कार्य करने के लिए लाइसेन्स देने एवं नवीनीकरण किये जाने को नियंत्रित करती है।

लाइसेन्स के प्रकार

3. विद्युत ठेकेदारों के लाइसेन्स तीन श्रेणी 'ए', 'बी' (स्कोप एमवी और स्कोप एचवी) एवं 'सी' में होंगे जो कि उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रपत्र सी–2, सी–3, एवं सी–4 में जारी किए जायेंगे तथा उनमें छपी हुई शर्तों के अधीन होंगे।

अधिक्षेत्र

4. 'ए' श्रेणी लाइसेन्सधारक ठेकेदार सम्पूर्ण राज्य में निम्न, मध्यम, उच्च एवं अति उच्च विभव के विद्युत अधिष्ठापन कार्यों को करने हेतु अर्ह होगा। ठेकेदार, जिसके पास 'बी' श्रेणी का लाइसेन्स स्कोप एमवी के साथ है, वह निम्न और मध्यम विभव (अधिकतम 650 वोल्ट तक) के विद्युत अधिष्ठापन कार्यों को सम्पूर्ण राज्य में कर सकेगा और स्कोप एचवी के साथ 'बी' श्रेणी का लाइसेन्सधारक ठेकेदार सम्पूर्ण राज्य में निम्न, मध्यम एवं उच्च विभव (अधिकतम 11000 वोल्ट तक) के विद्युत अधिष्ठापन कार्यों को करने हेतु अर्ह होगा। 'सी' श्रेणी लाइसेन्सधारक ठेकेदार उस जिले में, जिसके लिए उसे लाइसेन्स प्रदान किया गया है, केवल निम्न विभव (अधिकतम 250 वोल्ट तक) के विद्युत अधिष्ठापन कार्यों को करने हेतु अर्ह होगा।

आवश्यकतायें

5. प्रत्येक श्रेणी के लाइसेन्स के लिए टर्नओवर/स्टॉक एवं स्टाफ आदि की न्यूनतम आवश्यकताएँ अग्रसारित होंगी:–

श्रेणी	टर्नओवर/स्टॉक	स्टाफ	टूल्स एवं उपकरण
1	2	3	4
"ए"	इरेक्शन/वायरिंग सामग्री एवं उपसाधन का स्टॉक/टर्नओवर न्यूनतम ₹ 3,00,000	जब कार्य केवल एक ही जिले में किया जाना हो तो एक ए श्रेणी सक्षमता प्रमाण–पत्र धारक पर्यवेक्षक एवं दो वर्कमैन, जिनको उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा ए श्रेणी का परमिट प्रदान किया गया हो, होना आवश्यक है, यदि कार्य एकसाथ एक से अधिक जिलों में किया जाना हो तो प्रत्येक जिले के लिए एक अतिरिक्त ए श्रेणी परमिट धारक वर्कमैन को नियुक्त किया जाना होगा। आवेदनकर्ता अथवा पर्यवेक्षक को उच्च विभव विद्युत कार्यों के संचालन/इरेक्शन में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।	1. इन्सुलेशन टेस्टर (क) 5000 वोल्ट अथवा 2500 वोल्ट (ख) 1000 वोल्ट (ग) 500 वोल्ट 2. (क) पोर्टेबल वोल्टमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–600 वोल्ट (ख) पोर्टेबल अमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–60 एम्पीयर **अथवा** टौंग टैस्टर– 0–600 वोल्ट 0–500 एम्पीयर 3. अर्थ टैस्टरटैस्टिंग उपसाधन सहित 4. फेज सीक्वेन्स मीटर **सेफ्टी टूल्स और उपकरण** (क) रबर के दस्ताने 15 केवी (इलेक्ट्रिक ग्रेड) तक टैस्ट किये हुए। (ख) वायरगेज अथवा माइक्रोमीटर (ग) सेफ्टी बैल्ट (घ) क्रम्पिंग टूल (च) टार्क रेन्च स्पैनर (छ) चेन पुल्ली (ज) एक नम्बर नियोन टेस्टर /फेजिंग रॉड (झ) अर्थिगं रॉड।
'बी' स्कोप एम वी	इरेक्शन/वायरिंग सामग्री एवं उपसाधन का स्टॉक/टर्नओवर न्यूनतम ₹ 50,000	जब कार्य केवल एक ही जिले में किया जाना हो तो एक सक्षमता प्रमाण पत्र धारक पर्यवेक्षक एवं एक वर्कमैन, जिनको उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा परमिट प्रदान किया गया हो, होना आवश्यक है, यदि कार्य एकसाथ एक से अधिक जिलों में किया जाना हो तो प्रत्येक जिले के लिए एक अतिरिक्त	1. इन्सुलेशन टैस्टर 500 वोल्ट। 2. (क) पोर्टेबल वोल्टमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–600 वोल्ट (ख) पोर्टेबल अमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–60 एम्पीयर **अथवा** टौंग टैस्टर 0–600

1	2	3	4
		परमिट धारक वर्कमैन को नियुक्त किया जाना होगा।	वोल्ट 0–100 एम्पीयर 3. अर्थ टैस्टर टैस्टिंग उपसाधन सहित
"बी" स्कोप एच वी	इरेक्शन/वायरिंग सामग्री एवं उपसाधन का स्टॉक/टर्नओवर न्यूनतम ₹ 2,00,000	जब कार्य केवल एक ही जिले में किया जाना हो तो एक 'ए' श्रेणी सक्षमता प्रमाण–पत्र धारक पर्यवेक्षक एवं दो वर्कमैन, जिनमें से कम से कम एक 'ए'श्रेणी परमिटधारक हो, होना आवश्यक है, यदि कार्य एकसाथ एक से अधिक जिलों में किया जाना हो तो प्रत्येक जिले के लिए एक अतिरिक्त ए श्रेणी परमिटधारक वर्कमैन को नियुक्त किया जाना होगा।	1. इन्सुलेशन टैस्टर (क) 2500 वोल्ट (ख) 500 वोल्ट 2. (क) पोर्टेबल वोल्टमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–600 वोल्ट (ख) पोर्टेबल अमीटर, एसी /डीसी रेंज 0–60 एम्पीयर **अथवा** टौंग टैस्टर– 0–600 वोल्ट 0–500 एम्पीयर 3. अर्थ टैस्टर टैस्टिंग उपसाधन सहित 4. फेज सीक्वेन्स मीटर **सेफ्टी टूल्स और उपकरण** (क) 15 केवी (इलैक्ट्रिकल ग्रेड) टेस्टेड रबर के दस्ताने। (ख) सेफ्टी बैल्ट (ग) टॉर्क रेन्च स्पैनर (घ) क्रम्पिंग टूल (च) चेन पुल्ली (छ) क नम्बर नियोन टेस्टर /फेजिंग रॉड (ज) अर्थिगं रॉड।
"सी"	शून्य	एक वर्कमैन जिसके पास उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 'बी' श्रेणी परमिट हो।	इन्सुलेशन टैस्टर 500 वोल्ट

नोट :–

(क) स्टॉक के मूल्यांकन में केवल वहीं सामग्री और उपसाधन जो कि भारतीय मानकों के अनुरूप हों, जहाँ भी ऐसे मानक हैं अथवा मानक न होने की दशा में ऐसी सामग्री जो उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो विचार की जायेगी।

(ख) यदि ठेकेदार के पास स्वयं का सक्षमता प्रमाण पत्र हो तो उसे किसी पर्यवेक्षक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह सीधे कार्य का पर्यवेक्षण स्वयं कर सकता है। परन्तु

यदि वह स्वयं एक वर्कमैन परमिटधारक है तब भी उसे कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक संख्या में परमिट धारकों को नियुक्त करना होगा। ('सी'श्रेणी के लाइसेंस धारक की स्थिति में जहाँ कि ठेकेदार को, जिसके पास वर्कमैन का परमिट है, अतिरिक्त परमिटधारकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।) किसी ठेकेदार को लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु सक्षमता प्रमाण पत्र धारक पर्यवेक्षक और परमिटधारक वर्कमैन की नियुक्ति से छूट तभी प्रदान की जाएगी जब ठेकेदार के पास समकक्ष योग्यता धारक स्टाफ नियुक्त हो और लाईसेन्स प्राप्ति के तीन माह की अवधि के भीतर ठेकेदार को ऐसे स्टाफ के प्रमाणपत्र एवं परमिट जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने होंगे। परन्तु इस अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के विद्युत अधिष्ठापन के कार्यपूरक प्रमाण जारी नहीं किये जा सकेंगे।

(ग) उत्तराखण्ड सरकार का विद्युत निरीक्षक, आवश्यक परिस्थिति में, मैगर के अतिरिक्त अन्य टैस्टिंग उपकरणों में छूट प्रदान कर सकता है।

(घ) ठेकेदार को 'ए'श्रेणी का लाइसेंस तभी दिया जायेगा जबकि ठेकेदार अथवा नियुक्त सुपरवाइजर को उच्च विभव के संचालन/इरेक्शन,प्रोटेक्शन एवं सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ज्ञान हो, जो कि अनुभव प्रमाण पत्रों/कार्यपूरक प्रमाण पत्रों के साथ सम्पादित किये गये कार्यों के विवरण और/या व्यावहारिक और/या मौखिक परीक्षण के आधार पर दिया जाएगा।

विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स प्रदान करने की सामान्य शर्तें

6. (1) आवेदक को लाइसेन्स निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जायेगा :–

(क) आवेदक भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

(ख) आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा वह कक्षा आठ उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) यदि लाइसेन्स का आवेदन किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए किया गया है तो फर्म रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए और यदि लाइसेन्स का आवेदन किसी रजिस्टर्ड कम्पनी द्वारा किया गया है तो कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में फर्म के सभी पार्टनर एवं रजिस्टर्ड कम्पनी की स्थिति में कम से कम दो तिहाई निदेशकों द्वारा प्रस्ताव कर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को आवेदन, कार्यपूरक प्रमाणपत्र आदि में हस्ताक्षर किये जाने हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा।

(2) परन्तु निम्न को लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाएगा :–

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा वर्कमैन परमिट है परन्तु वह किसी विद्युत ठेकेदार, सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, किसी शैक्षिक या

तकनीक संस्थान, किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी के अन्तर्गत सेवारत है, को तब तक लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता जब तक वह अपने नियोक्ता की सेवा छोड़कर स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करता।

(ख) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी जिसका लाइसेन्स, नये लाइसेन्स के आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर निरस्त किया गया था। परन्तु यदि विद्युत निरीक्षक की राय में लाइसेन्स के निरस्तीकरण का कारण गम्भीर न होकर तकनीकी है, तो विद्युत निरीक्षक द्वारा अपने विवेक पर आवेदक द्वारा ₹ 1500 के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान किये जाने पर नया लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है। है।

(3) पूर्व अधिसूचना और आदेशों के अन्तर्गत जारी किए गए विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स का नवकरण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से अधिकतम दो वर्षों तक उन्हीं शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, जिनके अन्तर्गत वे जारी किये गये थे एवं उसके पश्चात् उन लाइसेन्सों का नवीकरण इस अधिसूचना में विहित शर्तों के अधीन होगा। इसके पश्चात् ऐसे सभी लाइसेन्स धारकों को अपने लाइसेन्स को इन शर्तों में विहित श्रेणियों में परिवर्तित किया जाना होगा।

(4) पर्यवेक्षक श्रेणी ए एवं वर्कमैनश्रेणी ए को नियुक्त किये जाने की छूट इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी और छूट की अवधि में पर्यवेक्षक श्रेणी ए के स्थान पर पर्यवेक्षक और वर्कमैन श्रेणी ए के स्थान पर वायरमैन स्वीकार होंगें।

लाइसेन्स हेतु आवेदन

7. लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु विद्युत निरीक्षक को प्रपत्र सी 1 में आवेदन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न होने चाहिए:–

(1) विनियम–10 के अन्तर्गत कोषागार में जमा किये गये आवश्यक शुल्क का मूल चालान।

(2) दो हस्ताक्षर एवं दो पासपोर्ट आकार की फोटो (2.5 सेमी x 3.5 सेमी),जिसमें आवेदक का चेहरा एवं दोनों कान स्पष्ट दिखायी दें। हस्ताक्षर एवं फोटो विद्युत निरीक्षक के कार्यालय के अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होने चाहिए।

(3) किसी भी प्रकार का फोटो पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड,पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड आदि।

(4) व्यवसाय के पते का प्रमाण पत्र जैसे किरायानामा की प्रति के साथ टैक्स भुगतान की नवीनतम रसीद अथवा नोटरी किया हुआ शपथ पत्र।

(5) यदि लाइसेन्स पार्टनरशिप फर्म के लिए लिया जा रहा है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड तथा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। यदि लाइसेन्स रजिस्टर्ड कम्पनी के लिए लिया जा रहा है तो कम्पनीज रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित एसोसिएशन का मैमोरेण्डम और आर्टिकल की प्रति तथा पार्टनरशिप फर्म अथवा कम्पनी, जैसा भी लागू हो, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को जारी मूल प्राधिकार पत्र।

(6) परीक्षण यत्रों, सेफ्टी टूल्स और उपकरणों के खरीद की रसीद की प्रतियां अथवा टैस्ट/कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र।

(7) आयु के प्रमाणपत्र के साथ शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां।

(8) 'ए'श्रेणी लाइसेन्स हेतु किये गये कार्यों का विवरण एवं अति उच्च/उच्चविभव कार्यों के कार्यपूरक प्रमाणपत्र एवं व्यापार/सेवा कर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रों की प्रतियां।

(9) पर्यवेक्षकों एवं वर्कमैन से प्राप्त सहमति पत्र।

लाइसेन्स जारी करना

8. विद्युत निरीक्षक द्वारा स्वयं अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त यह संतुष्टि होने पर कि इन शर्तों के अधीन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है लाइसेन्स जारी किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से आवेदन प्राप्ति के एक माह तक निरीक्षण सम्भव नहीं है, तो विद्युत निरीक्षक द्वारा अपने विवेक से लाइसेन्स शुल्क प्राप्ति पर एक अस्थायी लाइसेन्स प्रदान किया जा सकेगा जो कि निरीक्षण के परिणाम के आधार पर जारी अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

लाइसेन्स की श्रेणी में परिवर्तन

9. 'सी' श्रेणी से 'बी' श्रेणी स्कोप एमवी, 'बी' श्रेणी स्कोप एमवी से 'बी' श्रेणी स्कोप एचवी और 'बी' श्रेणी स्कोप एचवी से 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए आवेदन लाइसेन्स की वैधता अवधि के दौरान नई श्रेणी हेतु विहित शुल्क जमा करने पर किया जा सकता है। यदि आवेदन करने के 30 दिन के अन्दर निरीक्षण सम्भव नहीं हो पाया है, विद्युत निरीक्षक अपने विवेक पर अस्थायी लाइसेन्स जारी कर सकता है जो कि निरीक्षण के परिणाम के आधार पर जारी अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

लाइसेन्स का नवीकरण

10. इन विनियमों के अधीन जारी प्रत्येक विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स का लाइसेन्सधारक के अनुरोध पर वार्षिक रूप से नवीकरण किया जायेगा, जो कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही होगा :–

(1) (क) लाइसेन्स एवं जमा किये गये आवश्यक नवीकरण शुल्क का ट्रेजरी चालान, प्रपत्र सी 5 में आवेदन के साथ, लाइसेन्स समाप्ति की तिथि से 03 माह पूर्व परन्तु 06 माह पूर्व से पहले नहीं, विद्युत निरीक्षक के पास जमा किया जाना चाहिए।

(ख) यदि कोई ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त विनियम 10 में निर्धारित विलम्ब शुल्क जमा किये जाने पर विद्युत निरीक्षक द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि आवेदन, लाइसेन्स और ट्रेजरी चालान, लाइसेन्स की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर विद्युत निरीक्षक कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त किये जायेंगे एवं शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(2) सभी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन इन नियमों के अनुरूप पूर्ण नहीं किये गये होगें तो आवेदक को न्यूनतम 15 दिनों का समय देते हुए इन शर्तों को पूरे किये जाने हेतु सूचित किया जाएगा। यदि आवेदन समय सीमा के भीतर पुनः जमा नहीं किये गये, समय सीमा के बाद भेजे गये अथवा अपूर्ण रूप से भेजे गये तो आवेदन निरस्त किये जायेंगे एवं शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(3) विद्युत ठेकेदार,विद्युत निरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख, निरीक्षण हेतु निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:-

(क) स्टाफ द्वारा सहमति पत्र।

(ख) स्टॉक लिस्ट के आधार पर वैल्युएशन/ऑडिटर रिपोर्ट।

(ग) ठेका रजिस्टर, प्रपत्र सी 7 में।

(घ) स्टाफ का रजिस्टर।

(च) उपकरण/टूल्स (अथवा टेस्ट या कैलिब्रेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी)

निरीक्षण की तिथि ठेकेदारों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित की जायेगी। परन्तु यदि कोई ठेकेदार अपने नवीकरण के आवेदन की प्राप्ति के एक माह तक निरीक्षण की सूचना प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उपकरण/टूल्स (अथवा टैस्ट या कैलिब्रेशन रिपोर्ट) के साथ इन शर्तों में आवश्यक विवरण, रिकॉर्ड को निरीक्षण के लिए विद्युत निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु, लाइसेन्स की समाप्ति के दिनांक से दो माह के पश्चात् नवीकरण हेतु कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

शुल्क

11. इन शर्तों के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा :-

विवरण	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'बी' स्कोप एमवी	श्रेणी 'बी' स्कोप एचवी	श्रेणी 'ए'
लाइसेन्स शुल्क	₹ 2000	₹ 2500	₹ 4000	₹ 5000
ठेकेदारों के रिकार्डस/स्टॉक/परिसर आदि के निरीक्षण के लिए शुल्क,चाहे प्रारम्भिक/उत्तरवर्ती/वार्षिक अथवा ठेकेदार के अनुरोध पर है।	₹ 500	₹ 1000	₹ 2000	₹ 2500
नवीकरण शुल्क	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए विलम्ब शुल्क	₹ 70	₹ 80	₹ 150	₹ 175
विवाद को निपटाने का शुल्क	₹ 500	₹ 1000	₹ 1500	₹ 2000
अपील करने का शुल्क	₹ 2000	₹ 2000	₹ 2000	₹ 2000
लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के लिए शुल्क	₹ 600	₹ 600	₹ 600	₹ 600

सरकार द्वारा समय समय पर शुल्क को संशोधित किया जा सकेगा।

नोट :–सभी शुल्कों का अग्रिम भुगतान किया जायेगा। शुल्क, उपयुक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में, जहां स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है वहां राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा। शुल्क जमा करने के लिए प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक अथवा सहायक विद्युत निरीक्षक के जोनल कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। सामान्यतया किसी प्रकार का शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कहीं आवश्यक हुआ तो सरकार किसी परिस्थिति में शिथिलता प्रदान कर सकती है।

लाइसेन्सधारकों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें

12. प्रत्येक लाइसेन्सधारक विद्युत अधिनियम 2003, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 एवं इन विनियमों का पालन करेगा तथा विद्युत निरीक्षक के अधिकारियों या आपूर्तिकर्ता के किसी प्राधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, के मांगे जाने पर अपने लाइसेन्स को प्रस्तुत करेगा, साथ ही निम्न शर्तों का पालन करेगा–

(1) ठेकेदार निम्नलिखित रिटर्नस तथा सूचनाएं विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन को देगा :–

(क) अर्द्धवार्षिक रिटर्न जो कि प्रत्येक वर्ष में दो बार, 15 जुलाई तथा 15 जनवरी से पूर्व प्रपत्र सी 6 में जमा करना होगा।

(ख) यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन हो तो परिवर्तन होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उसकी सूचना देनी होगी।

(2) ठेकेदार द्वारा एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें कार्यरत पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों, वर्कमैन और प्रशिक्षुओं की सूचना होगी और जिसे निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम के नियम 13 के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा बनाया गया रजिस्टर इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम उपरोक्त रजिस्टर में नहीं होगा तो वह ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी नहीं समझा जायेगा।

(3) किसी भी विद्युत कार्य को प्रारम्भ करने से प्रपत्र सी 7 में अनुरक्षित रजिस्टर में तिथिवार प्रविष्टि की जाएगी। यह रजिस्टर अद्यतन रखा जाएगा तथा विद्युत निरीक्षक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

(4) ठेकेदार अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं किये गये कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि सप्लाई देने से पूर्व परीक्षण करने पर विद्युत सप्लायर के द्वारा कार्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो ठेकेदार इन कमियों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु असहमति की दशा में ठेकेदार अथवा सप्लायर द्वारा प्रकरण को विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन के पास सन्दर्भित किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

(5) किसी ठेकेदार और उसके ग्राहक के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में, जो कि ठेके की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में हो, किसी भी पक्ष द्वारा, विहित शुल्क का भुगतान कर, मामला विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

(6) ठेकेदार द्वारा प्रपत्र सी 8 में कार्यपूरक प्रमाणपत्र एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पर्यवेक्षक, जिसके पर्यवेक्षण में कार्य किया गया हो, के हस्ताक्षर के बिना कोई कार्यपूरक प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(7) विद्युत ठेकेदार द्वारा विद्युत स्थापन कार्य हेतु प्रत्येक ठेका, लिखित रूप में प्रपत्र सी 9 में लिया जाएगा। यह विद्युत निरीक्षक एवं उसके प्रतिनिधियों को निरीक्षण के समय दिखाना होगा।

(8) ठेकेदार प्रशिक्षुओं को रखकर उन्हें प्रशिक्षण दे सकता है। किसी भी समय प्रशिक्षुओं की संख्या ठेकेदार द्वारा सेवायोजित पर्यवेक्षकों एवं वर्कमैन की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।ठेकेदार ऐसे प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार के विद्युत स्थापना के कार्य करने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें मौजूदा अधिष्ठापन में वृद्धि, परिवर्तन, अनुरक्षण एवं समायोजन सम्मिलित है, सिवाय उन मामलों के जिनमें ऐसे कार्य किसी सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में एवं उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक के द्वारा प्रदान किये गये परमिट धारक के सीधे निर्देशन में किया जाए।

(9) इस विनियम/शर्तों में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में ₹ 20.00 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) तक के न्यूनतम 10 प्रतिशत निर्माण कार्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध ठेकेदारों से कराया जायेगा।

निरस्तीकरण

13. उपरोक्त शर्तों के अधीन जारी किया गया लाइसेन्स, निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकता है :–

(1) यदि किसी नियम को तोड़ा जाता है।

(2) यदि ठेकेदार ऐसे व्यक्तियों से कार्य कराता है जिनको परमिट नहीं दिया गया है या ठेकेदार प्रशिक्षुओं की तय संख्या से अधिक को कार्य में लगाता है या यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कार्य कराया गया है जिसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं है।

(3) यदि ठेकेदार टैस्टिंग उपकरणों को कार्यक्षम दशा में रखने में असफल रहता है।

(4) यदि ठेकेदार का कार्य त्रुटिपूर्ण और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 तथा विद्युत कार्यों के लिए भारतीय मानक संहिता के अनुसार नहीं पाया जाता है।

(5) यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने विद्युत स्थापना का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया है।

(6) यदि ठेकेदार द्वारा ऐसे कार्य का कार्यपूरक प्रमाणपत्र जारी किया गया है जो कार्य वास्तव में उसके अपने स्टाफ द्वारा नहीं किया गया है।

(7) यदि ठेकेदार की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी है जिससे कि वह इन शर्तों के अनुसार अपने दायित्व पूर्ण नहीं कर सकता है।

(8) यदि ठेकेदार ने उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक को जानबूझ कर गलत सूचनायें दी हैं।

नोट :– लाइसेन्स तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ठेकेदार को उसके लाइसेन्स को निरस्त करने के विरूद्ध कारण बताने का तर्कसंगत अवसर नहीं दिया जाय। परन्तु जाँच जारी रहने के दौरान ऐसा लाइसेन्स विद्युत निरीक्षक द्वारा अपने विवेक पर निलम्बित किया जा सकता है। जहाँ लाइसेन्स के निरस्तीकरण का मामला बनता है,वहाँ बजाय निरस्तीकरण के विद्युत निरीक्षक द्वारा दण्ड लगाया जा सकता है जो ₹ 5000 से अधिक नहीं होगा।

(9) इन विनियमों के अधीन जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर की जा सकती है। प्रत्येक अपील के साथ आदेश की एक प्रति होनी चाहिए जिसके विरूद्ध अपील की जा रहीं है और यह अपील आदेश के दिनांक के 90 दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। अपील का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक के 90 दिनों के अन्दर किया जाएगा।

लाइसेन्स की द्वितीय प्रति

14. विहित शुल्क जमा करने और मूल लाइसेन्स के वास्तव में खो जाने, नष्ट हो जाने आदि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी की जायेगी। लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के लिए प्रपत्र सी 10 में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

अधिन्यास अथवा स्थानान्तरण

15. लाइसेन्स न तो स्थानान्तरित कियां जा सकेगा न ही उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो सकेगा। किसी फर्म की पार्टनरशिप अथवा स्वामित्व में किसी भी कारण से बदलाव की स्थिति में लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

अन्य राज्य सरकारों के द्वारा जारी लाइसेन्स की मान्यता के सम्बन्ध में

16. अन्य राज्यों से लाइसेन्सधारक विद्युत ठेकेदारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशिष्ट कार्यों को किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।इस हेतु उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा अस्थायी लाइसेन्स दिया जा सकता है। इस प्रकार के ठेकेदारों के सम्बन्ध में विद्युत निरीक्षक इन शर्तों में उस सीमा तक छूट प्रदान कर सकता है जहाँ तक न्यायसंगत हो परन्तु राज्य सरकार की अनुमति के बिना शुल्क के विषय में कोई रियायत नहीं दी जा सकती है।

उक्त विद्युत ठेकेदारों को लाइसेन्स दिये जाने के लिये विनियम एवं शर्तें–2016 दि0–10–10–2016 को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

NOTIFICATION

March 17, 2017

No. 134/I/2017-01(03)/10/2003--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) read with the regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety & Electric Supply) Regulations, 2010 and in super session of all previous notifications and orders, if any, the Government of Uttarakhand hereby makes the following regulations and conditions for the grant of licenses to the electrical contractors.

REGULATIONS AND CONDITIONS FOR THE GRANT OF LICENSE TO ELECTRICAL CONTRACTORS, 2016

Short title Commencement and extend

1. (1) These rule may be called the Regulations and condition for the grant of license to Electrical Contractors, 2016

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extend to the whole of Uttarakhand State.

Purpose

2. These conditions regulate the issue and renewal of licenses to electrical contractors, in pursuance of the provisions of regulations 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, for execution of electrical installation works.

Classes of License

3. There shall be three classes of Electrical Contractors Licenses 'A', 'B' (scope MV and scope HV) and 'C' which shall be granted by the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand, in form specified in 'C-2', 'C-3' and 'C-4' respectively and shall be subject to conditions printed thereon.

Scope

4. A contractor holding 'A' class license shall be eligible to carry out electrical installation works of Low, Medium, High and Extra High voltage installations throughout the state. A contractor holding 'B' class license, with scope MV shall be eligible to carry out electrical installation works of Low and Medium voltage installations (i.e. upto and including 650 Volts) throughout the state, and a contractor holding 'B' class license, with scope HV shall be eligible to carry out electrical installation works of Low, Medium and High voltage installations (upto and including 11000 Volts) throughout the state. A contractor holding 'C' class license shall be eligible to carry out only Low Voltage installation works upto 250 Volts within the district for which the license is granted to him.

Requirements

5. The minimum requirement of turnover/stock and staff etc. for each class of license shall be :

Class	Turnover/Stock	Staff	Tools & appliances
1	2	3	4
"A"	Turnover/stock of Erection/wiring material and accessories worth ₹ 3,00,000	One supervisor holding a class-A certificate of competency and two workmen holding class-A permits issued by the Electrical Inspector to Govt., Uttarakhand, when the work is confined to one district only. If the work is undertaken simultaneously in more than one district an additional class-A permit holder workman shall be employed for each district. Applicant or the supervisor employed should have sufficient knowledge of operation/erection of high voltage installations.	1. Insulation Tester : (A) 5000 V or 2500 V (B) 1000V (C) 500V 2. (A) Portable voltmeter AC/DC, Range 0 to 600 V. (B) Portable Ammeter AC/DC, Range 0 to 60 A. or Tong Tester—0-600 Volts, 0-500 A 3. Earth tester with testing accessories 4. Phase sequence meter Safety Tools and Equipments : (A) Rubber Hand Gloves tested to 15kV (Electrical grade) (B) Wire gauge or micrometer (C) Safety belt (D) Crimping tool (E) Torque wrench spanner (F) Chain pulley (G) One number Neon tester/Phasing rods (H) Earthing rods
"B" Scope MV	Turnover/Stock of Erection/Wiring material and accessories worth ₹ 50,000	One supervisor holding certificate of competency and one workman holding permit issued by the Electrical inspector to Govt. Uttarakhand, when the work is confined to one district only. If work is simultaneously undertaken in more than one district one additional permit holder workman shall be employed for each district.	1. Insulation Tester 500V 2. (A) Portable voltmeter AC/DC, Range 0 to 600V (B) Portable Ammeter AC/DC, Range 0 to 60A or Tong Tester—0-600 Volts, 0—100A 3. Earth tester with testing accessories
"B" Scope HV	Turnover/Stock of Erection/Wiring material and accessories worth ₹ 2,00,000	One supervisor holding class-A certificate of competency and two workmen, out of which at least one holding class-A permit issued by the	1. Insulation Tester : (A) 2500V (B) 500V 2. (A) Portable voltmeter AC/DC, Range 0 to 600V

1	2	3	4
		Electrical inspector toGovt., Uttarakhand when the work is confined to one district only. If work is simultaneously undertaken in more than one districts one additional class-A permit holder workman shall be employed for each district.	(B) Portable Ammeter AC/DC ,Range 0 to 60 A Or Tong Tester- 0-600 Volts, 0-500 A 3. Earth tester with testing accessories 4. Phase sequence meter Safety Tools and Equipments (A) Rubber Hand gloves tested to 15 kV (Electrical grade) B) Safety belt (C) Crimping tool (D) Torque wrench spanner (E) Chain pulley (F) Phasing rods/One number Neon tester (G) Earthing rods
"C"	Nil	One workman holding at least class-B permit issued by the Electrical Inspector to Govt., Uttarakhand	Insulation Tester 500 volts

N.B. (1) Only those materials and accessories which conform to the Indian standard specifications wherever these exist or in their absence such materials as are approved by the Electrical Inspector to Government, Uttarakhand for the purpose, shall be taken into account for valuation of the stock.

(2) If the contractor himself holds a certificate of competency he need not employ a supervisor if he can himself directly supervise the work. He must however, employ required number of permit holder workmen to do the work even if he himself holds a workman's permit. (Except in case of a "C" class license where if the contractor holds a workman permit he need not to employ additional permit holder.) Relaxation regarding employment of certificate holder supervisor and permit holder workman shall only be granted to the contractor if he has employed staff possessing qualification essential for grant of supervisor certificate and workman permit and in any case the contractor has to submit the certificate and permit, as the case may be, of such staff within three months of getting the license. But during this period the contractor shall not issue work completion certificate of any electrical installation work.

(3) The Electrical Inspector to Government, Uttarakhand may grant relaxation in respect of requirements of testing instruments, except megger, in suitable cases.

(4) "A" class license shall be granted to a contractor if the contractor or the supervisor employed has sufficient knowledge of operation/erection of high voltage installations, protection and safety measures which shall be tested by the

experience certificates/details of works done with completion reports and/or by means of a practical and/or oral test.

General Conditions for Grant of Electrical Contractors Licenses

6 **(1)** A License may be granted on application to any applicant satisfying the following conditions, namely :-

(A) The applicant must be a citizen of India.

(B) The applicant must have attained the age of 21 years as on the date of application and has passed eighth standard examination.

(C) If the license is sought for a partnership firm, the firm must have registered with the Registrar of Firms or if the license is sought for a registered company the same must have registered with Registrar of Companies. In case of a partnership firm all the partner of the firm and in case of a registered company not less than two third of total number of Directors may resolve and issue an authorization letter to the authorized signatory to sign the application, completion report, etc. on behalf of the firm or company as the case may be, the authorization letter shall be on Rs. 100/- stamp paper.

(2) The license shall not, however, be granted to:-

(A) A person holding a certificate of competency or a workman's permit issued by the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand who is in the employment of an Electrical contractor, Government department, a local authority, any educational or technical institution, any other person or company unless he undertakes to leave the service of his employer and work independently.

(B) A person or a company whose license was cancelled under these conditions within three years of the date of his application for a new license. Provided that if in the opinion of the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand the reason for the cancellation of the license were technical and not serious, he may in his discretion grant a fresh license after the applicant pays an additional fees of ₹ 1500.

(3) Electrical Contractors Licenses issued under previous notifications and orders shall be renewed subject to fulfillment of the conditions under which they were granted up to a maximum period of two years only, from the date of notification of these regulations and thereafter their renewal shall be subject to the fulfillment of these conditions. Afterwards all such license holders shall have to get converted their licenses to the classes as prescribed under these

regulations.

(4) In respect of requirements of supervisor class A and workman class A relaxation shall be granted for a period of two years from the date of notification and during the relaxation period supervisor in place of supervisor class A and wireman in place of workman class A shall be accepted.

Application for License

7. An application for the grant of license shall be made to the Electrical Inspector, in form C1. Every application form shall be accompanied by the following, namely :-

(1) Original treasury challan for having remitted the requisite fee as detailed in regulation 10.

(2) Two Specimen signature and two recent photographs (2.5 cm x 3.5 cm) clearly showing the complete face and two ears of the applicant. The specimen signature and the photograph shall be got attested by the designated jurisdictional officer of the Electrical Inspectorate or by the notary.

(3) Any of the photo identity proof of the applicant such as Ration card, passport, voters identity card, Driving license, Aadhar card.

(4) Proof of the address of business premises i.e. copy of rental agreement along with the latest tax paid receipt or an affidavit sworn before the Notary.

(5) If the license is sought for a partnership firm a copy of the registered partnership deed and the Registration certificate issued by the Registrar of Firms, if the license is sought for a registered company copy of the memorandum and Articles' of Association approved by the Registrar of Companies and authorization letter in original issued to the authorized signatory by the partnership firm or company as the case may be.

(6) Copies of purchase voucher or test/calibration certificates of testing instruments, safety tools and equipments.

(7) Copies of educational qualification along with the proof of age.

(8) Details of the work done along with the copies of the completion certificate of EHV/HV installation works and copies of registration certificates with trade tax/service tax, in case of Class A license.

(9) Consent letters obtained from Supervisors and Workmen.

Grant of license

8. A license shall be granted by the Electrical Inspector after satisfying himself by inspection carried out by him or by his representatives that the requisites under these conditions are being fulfilled. If, however, inspection is not possible, within one month of the receipt of an application, the Electrical Inspector may in his discretion issue on receipt of license fee a provisional license which shall be subsequently confirmed

or cancelled as the case may be on the result of the inspection.

Change of Class of license

9. Application for change of class of license from 'C' class to 'B' class scope MV, 'B' class scope MV to 'B' class scope HV and 'B' class scope HV to 'A' class may be made during the currency of license on payment of the prescribed fee for new class. If inspection is not possible within 30 days of receipt of the application, the Electrical Inspector may at his discretion, issue a provisional license, which will be subsequently confirmed or cancelled, as the case may be on the result of the inspection.

Renewal of license

10. Every Electrical Contractor's license granted under these Regulations shall be renewed annually at the request of the licensee, subject to satisfying the conditions detailed below, namely:-

(1) **(A)** Application for renewal, in form C5 together with the license and treasury challan showing that the requisite renewal fee has been deposited shall be submitted to the Electrical Inspector, 03 clear months before the date of expiry of the license but not before 06 clear months.

(B) If any contractor fails to do so, his application for renewal may be entertained by the Electrical Inspector on payment of prescribed late fee in addition to the renewal fee, as detailed in Regulation 10, provided the application, the license and the treasury challan are received in his office within 30 days after the date of expiry of the license. Application received after the due date is liable for rejection, fee remitted if any shall deemed to have been forfeited.

(2) All the applications received shall be scrutinized. If the application is found not fully in accordance with these regulations, the same shall be intimated to the applicant to fulfill the conditions giving at least fifteen days time. If the objected application is not resubmitted or submitted after the period or date fixed or submitted with incomplete information or particulars, is liable for rejection and fee remitted will be forfeited.

(3) An electrical contractor shall present for inspection, the following before Electrical Inspector or his representatives:-

(A) Consent letters obtained from the staff.

(B) A list of stock held showing valuation/Auditor's report.

(C) Register of contracts in Form C7.

(D) Register of staff.

(E) Instruments / tools. (Or a test or calibration report shall be presented)

The date of inspection shall be duly notified to the contractors at least 15 days in advance. However if a contractor does not receive

an intimation for inspection within one month from the date of receipt of his application for renewal he may present for inspection, the details, records as required by these conditions and Instruments/tools(Or a test or calibration report) before the Electrical Inspector at his office.

Provided that no inspection for renewal shall be carried out after two months from the date of expiry of the license.

Fees

11 The following fees shall be levied under these conditions :-

Description	Class "C"	Class "B" Scope MV	Class "B" Scope HV	Class "A"
License Fee	₹ 2000	₹ 2500	₹ 4000	₹ 5000
Fees for inspection for contractors records/ stock/premises etc. whether initial, subsequent, annual or at the request of the contractor.	₹ 500	₹ 1000	₹ 2000	₹ 2500
Renewal Fee	₹ 500	₹ 500	₹ 500	₹ 500
Late Fee for every week or part thereof	₹ 70	₹ 80	₹ 150	₹ 175
Fee for settlement of dispute	₹ 500	₹ 1000	₹ 1500	₹ 2000
Fee for making appeal	₹ 2000	₹ 2000	₹ 2000	₹ 2000
Fee for duplicate copy of license	₹ 600	₹ 600	₹ 600	₹ 600

Fees shall be subject to revision by the government from time to time.

Note :-

All fees shall be paid in advance, it shall be deposited in the State Bank of India or in a Government Treasury, where there is no branch of the State Bank of India under the appropriate head of accounts. Forms with heads of accounts printed thereon which are to be utilized for making the deposit can be obtained from the office of the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand, Zonal Offices of the Assistant Electrical Inspector to Government of Uttarakhand. No refund will ordinarily be allowed but Government may relax this provision in individual cases where considered necessary.

Licensee to abide by the conditions

12 Every licensee shall abide by the provisions of the Electricity Act, 2003, rules and regulations made there under, Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and these regulations and shall produce their License, upon demand by officers of the Electrical Inspector or to any authorities of the supplier having jurisdiction over the area where the electrical installation work as

being carried out, in addition to the conditions detailed below.

(1) The contractor shall submit the following returns and information to the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand

(A) Returns twice a year in the form C6 on or before the 15th July and 15th January each year.

(B) Information regarding any change which occurs in the staff within a fort night of the date from which the change takes place

(2) The contractor shall maintain a register giving information about the employment of supervisor/supervisors, workman/workmen and apprentices which shall be put up before the inspecting officer at the time of inspection. The register maintained by the contractor for the purpose of Rule 13 of shop and Commercial Establishment Act will serve the purpose of this condition. A person whose name is not entered in such register shall not be considered to be the bonafide employee on the contractor's staff.

(3) Before starting any electrical installation work, entry will be made date wise in a register, which will be maintained in the form C7. This register will be kept up to the date and produced for inspection when ever required by the Electrical Inspector or his representatives.

(4) The contractor shall be personally responsible for the quality of all the materials used and for the work carried out by his employees. If the work is found to be defective by the electricity supplier on testing the installation before giving supply, the contractor shall be responsible for removing or rectifying the defect, but in case of disagreement the matter may be referred by the contractor or the electricity supplier to the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand, whose decision shall be final and binding.

(5) In case of any dispute between any contractor and his customer regarding fulfillment of the contract, the matter may be referred by the either party on payment of the prescribed fee, to the electrical Inspector to Government of Uttarakhand, whose decision shall be final and binding.

(6) The contractor shall furnish work completion cum test report in form C8. No completion certificate for any work shall be given unless the same has been signed by supervisor under whose direct supervision the work was carried out.

(7) Every contract for electrical installation work undertaken by the contractor shall be in writing in the form specified in Form C9. It shall be open on inspection by the Electrical Inspector or his representatives.

(8) A contractor may engage apprentices for training purpose. The total number of apprentices employed at any time shall not exceed the number of workmen and supervisors employed at that time. The contractor shall not permit such apprentices to carry out any electrical installation work including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations except under the direct supervision of a person holding a certificate of competency and under the direct guidance of a workman holding a permit issued by the Electrical Inspector to Government of Uttarakhand.

(9) In the financial year, the construction works up to Rs. 20 Lakh, contractors from Schedule Caste/Schedule Tribe Categories are available, then minimum of 10 percent construction works shall be done by contractors from Schedule Caste/Schedule Tribe Categories.

Cancellation **13** A license granted under these conditions may be cancelled in the following circumstances:-

(1) If breach of any condition is committed.

(2) If the contractor is found to execute an Electrical installation work through unlicensed workman or found to employ more number of apprentices then permitted under these conditions or is found not to have got the work carried out under the direct supervision of a person holding a certificate of competency.

(3) If the contractor fails to keep the testing instruments in order.

(4) If the contractor is found to have carried out works which were defective and not in accordance with the provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and the Indian standard code of practice for electrical installation works.

(5) It is found that the contractor is not carrying out electrical installation work satisfactorily.

(6) If the contractor signs and submits to the Electricity supplier completion certificates of work which have not actually been done by his own staff.

(7) If the financial position of the contractor has become such that he is unable to carry out his obligations under these conditions.

(8) If the contractor has knowingly furnished wrong information to the Electrical Inspector to Govt., Uttarakhand.

Note:- The license shall, however, not be cancelled unless the contractor has been given a reasonable opportunity to show cause against the action for cancellation of the license.

But it may be suspended at the discretion of the Electrical

Inspector during the pendency of the enquiry. Where a case for the cancellation of the license is made out, the Electrical Inspector may instead of cancelling the license impose a fine not exceeding ₹ 5,000.00

(9) An appeal against an order served under these regulations shall lie to the State Government, on payment of prescribed fee. Every appeal shall be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be made within 90 days from the date of the order appealed against. An appeal shall be disposed off within 90 days from the date of receipt of the appeal.

Duplicate copy of license

14. A duplicate copy of the license will be issued on payment of the prescribed fee and on furnishing proof of the loss, damage etc. of the original license. Application for this purpose shall be made in form C-10.

Assignment or Transfer

15. The license is neither transferable nor inheritable. In case of any change in the ownership or partnership of the firm at any time for any reason whatsoever, the license shall stand cancelled.

Recognition of license issued by the other State Governments

16. Electrical contractors holding license valid in other states may be allowed, under special circumstances, to carry out specified work or works in this state. A temporary license will be issued to them for the purpose by the Electrical Inspector to Govt., Uttarakhand. In the case of such contractors the Electrical Inspector may relax so much these conditions as may appear justifiable, but no relaxation in the matter of payment of fees shall be made without the approval of Government.

By order of the Governor,

Dr. UMAKANT PANWAR,

Principal Secretary.

गृह अनुभाग–6

विज्ञप्ति

प्रोन्नति / तैनाती

17 मार्च, 2017 ई0

संख्या 318 / XX-6/2017-01(04)2010–श्री हरि विनोद जोशी, संयुक्त निदेशक (विधि) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600), को नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक (विधि), वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700 में अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,

प्रमुख सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2

कार्यालय–ज्ञाप

16 मार्च, 2017 ई0

संख्या 178/XVI-2/17/17(06)/2017–रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक, (रेशम) श्रेणी–2 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक निदेशक रेशम को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से जनहित/कार्यहित में कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित/तैनात किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद एवं तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री हेम चन्द्र	सहायक निदेशक (रेशम) गोपेश्वर–चमोली	सहायक निदेशक (रेशम) ऊधमसिंह नगर
2.	श्री अनिल कुमार थापा	सहायक निदेशक, रेशम–सम्बद्ध, रेशम निदेशालय	सहायक निदेशक (रेशम) गोपेश्वर–चमोली

2. श्री अनिल कुमार थापा, की सहायक निदेशक रेशम के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

3. उपरोक्तानुसार उक्त कार्मिकों, को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

नियोजन अनुभाग–1

अधिसूचना

15 मार्च, 2017 ई0

संख्या 72/XXVI/2017–एक RTI (2)/2009–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 एवं धारा–19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं के अधीन पूर्व में निर्गत नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–298/XXVI/एक RTI(1)/2009, दिनांक 10–10–2011 में आंशिक संशोधन करते हुए नियोजन विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर पर निम्नलिखित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

लोक प्राधिकारी इकाई	नाम	पदनाम	ई0कॉम/दूरभाष	मोबाइल नं0
नियोजन विभाग	श्री रजनीश जैन	अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी	–	9927699128

2. उपरोक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–298/XXVI/एक RTI(1)/2009, दिनांक 10–10–2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
भूपाल सिंह मनराल
अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

15 मार्च, 2017 ई0

संख्या 470 / X-1-2017-14(09)/2014–श्री जन्मेजय सिंह, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 13–06–1957 (तेरह जून सन् उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30–06–2017 के अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

15 मार्च, 2017 ई0

संख्या 477 / X-1-2017-14(09)/2014–श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, जिनकी जन्मतिथि 10–06–1957 (दस जून सन् उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30–06–2017 के अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट / 212–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2017 ई0 (चैत्र 18, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 07, 2017

No. 34/UHC/VII-a-1/Stationery--Pursuant to the Government Notification No. 165/XXXi(15)/G-10(SaO)/2017, dated 03/03/2017 issued U/s 25 Negotiable Instrument Act. 1881 (Act of 26, 1881), 09/03/2017 (Thursday) is hereby declared holiday in the Outlying Courts Karnprayag and Gairsain on account of Legislative Assembly Election 2017.

By Order of the Court,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 07, 2017

No. 35/UHC/XIV/a-41/Admin.A/2008--Smt. Kahkasha Khan, District & Sessions Judge, Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 06.01.2017 to 25.01.2017 with permission to prefix 05.01.2017 as Guru Govind Singh Jayanti and to suffix 26.01.2017 as Republic Day.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 36/UHC/XIV-5/Admin.A/2008--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 16.02.2017 to 25.02.2017 with permission to suffix 26.02.2017 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 37/UHC/XIV/87/Admin.A/2003--Smt. Shadab Bano, 7th Additional District and Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 17.02.2017 to 03.03.2017.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 38/UHC/XIV-a-22/Admin.A/2011--Ms. Rinky Sahni, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 20.02.2017 to 04.03.2017 with permission to prefix 19.02.2017 as Sunday holiday and suffix 05.03.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 39/UHC/XIV-a-52/Admin.A/2015--Ms. Jayshree Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 27.01.2017 to 25.02.2017 with permission to prefix 26.01.2017 as Republic Day holiday and suffix 26.02.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 40/UHC/XIV-a/43/Admin.A/2015--Ms. Mamta Pant, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 30.01.2017 to 28.02.2017 with permission to prefix 29.01.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 41/UHC/XIV-a/26/Admin.A/2010--Sri Gurubaksh Singh, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 13.02.2017 to 19.02.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 81/UHC/Admin.A/2017--Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, *vice* Sri Dayaram.

He has also been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath, with the directions to hold Camp Court at Ukhimath for four continuous days in a month.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 82/UHC/Admin.A/2017--Ms. Indu Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun, *vice* Sri Abhishek Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 83/UHC/Admin.A/2017--Ms. Seema Dungrakoti, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Sri Neeraj Kumar.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 84/UHC/Admin.A/2017--Ms. Shachi Sharma, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate-I, Haldwani District Nainital, *vice* Ms. Beenu Gulyani.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 85/UHC/Admin.A/2017--Ms. Sweta Pandey, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar, *vice* Sri Puneet Kumar.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 86/UHC/Admin.A/2017--Sri Abhishek Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, *vice* Ms. Lalita Singh.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 87/UHC/Admin.A/2017--Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal is transferred and posted as Judicial Magistrate-I, Dehradun, *vice* Ms. Simranjit Kaur.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 88/UHC/Admin.A/2017--Ms. Lalita Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is transferred and posted as Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Shachi Sharma.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 89/UHC/Admin.A/2017--Ms. Arti Saroha, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate, Rudraprayag, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 90/UHC/Admin.A/2017--Ms. Simranjit Kaur, Judicial Magistrate-I, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal, *vice* Sri Abhay Singh.

She has also been given additional charge of the Court of Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal, in addition to her duties.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 91/UHC/Admin.A/2017--Sri Sandeep Singh Bhandari, Judicial Magistrate-II, Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, *vice* Sri Sachin Kumar.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 92/UHC/Admin.A/2017--Sri Neeraj Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Ms. Nazish Kaleem.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 93/UHC/Admin.A/2017--Ms. Nazish Kaleem, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sanjay Singh.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 94/UHC/Admin.A/2017--Sri Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Indu Sharma.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 95/UHC/Admin.A/2017--Sri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal, *vice* Sri Imran Mohd. Khan.

He has also been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, with the directions to hold Camp Court at Dhumakot for four continuous days in a month.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 96/UHC/Admin.A/2017--Sri Dayaram, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Arti Saroha.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 97/UHC/Admin.A/2017--Sri Abhay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as Judicial Magistrate, Vikas Nagar, District Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 98/UHC/Admin.A/2017--Ms. Beenu Gulyani, Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital is posted as Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

March 16, 2017

No. 99/UHC/Admin.A/2017--Ms. Bushra Kamal, Judicial Magistrate-III, Dehradun is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Sweta Pandey.

This order will come into force *w.e.f.* 15.04.2017.

NOTE : The officers transferred prematurely on their request will not be allowed the transfer travelling allowance.

By Order of the Court,
Sd/--
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

$\frac{28}{30}$ जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 32(VII)/I/छः(06)–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार, दिनांक 30–01–2017 से दिनांक 10–03–2017 तक (दिनांक 29–01–2017 के रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 11–03–2017 से 14–03–2017 तक के राजकीय अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए), कुल चालीस दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परिपत्र संख्या 220/XIV–a–26/Admin.A/2011, दिनांक 12 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के फलस्वरूप आज दिनांक 28–01–2017 को अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट),
I/6 जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

एकता मिश्रा,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

16 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 96/एक–छः–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार, दिनांक 30–01–2017 से दिनांक 10–03–2017 तक (दिनांक 29–01–2017 के रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 11–03–2017 से 14–03–2017 तक के राजकीय अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए), का बाल्य देखभाल अवकाश, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परिपत्र संख्या 220/XIV–a–26/Admin.A/2011, दिनांक 12 जनवरी, 2017 की स्वीकृति के फलस्वरूप उपभोग करने उपरान्त (दिनांक 15–03–2017 को स्थानीय अवकाश घोषित होने से) आज दिनांक 16–03–2017 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट),
प्र0 जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

भवदीया,
एकता मिश्रा,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पिथौरागढ़।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, चम्पावत

अधिष्ठान आदेश संख्या–31/2017, दिनांक 25–03–2017

25 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 210/एक–06–2016–पूर्व में जारी मेरे अधिष्ठान आदेश संख्या 21/2017, दिनांकित 17–03–2017 से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चम्पावत के रिक्त पद पर प्रोन्नति एवं चयन के माध्यम से पदोन्नति किए जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत की अध्यक्षता में जजशिप के न्यायिक अधिकारीगण की एक तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था। जिसमें चयन समिति को यह आदेशित किया गया था कि जजशिप में कार्यरत प्रवर्ग (ग), प्रवर्ग (घ) के समस्त कर्मचारियों एवं वरिष्ठ व्यैयक्तिक सहायक के सम्बन्ध में उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर सम्यक् विचार करते हुए उक्त पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त कर्मचारी का चयन कर अपनी आख्या संस्तुति सहित मेरे समक्ष अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। जिसके अनुपालन में समिति द्वारा अपनी गोपनीय आख्या दिनांकित 23–03–2017, एक सील बन्द लिफाफे में मेरे समक्ष अवलोकनार्थ एवं अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। आज दिनांक 25–03–2017 को समिति की आख्या का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। समिति द्वारा श्री महेन्द्र सिंह राणा को वेतनमान ₹ 8,000–13,500 (पूर्व संशोधित) एवं वर्तमान वेतन बैण्ड–3 के सापेक्ष वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चम्पावत के मात्र एक रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु "उपयुक्त" पाया गया है तथा समिति द्वारा एकमत होकर उक्त रिक्त पद पर उनकी पदोन्नति किये जाने संस्तुति की गई है।

समिति की आख्या से असहमत होने का कोई कारण अथवा अवसर नहीं है, तद्नुसार समिति की आख्या एवं संस्तुति दिनांकित 23–03–2017 का अनुमोदन यथानुसार आज दिनांक 25–03–2017 को मेरे द्वारा किया जाता है। समिति की संस्तुति के क्रम में श्री महेन्द्र सिंह राणा, सदर मुन्सरिम को वर्तमान में वेतनमान ₹ 5,500–9,000 (पूर्व संशोधित) एवं वर्तमान वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड पे ₹ 4,600 से पदोन्नत करते हुए उन्हें वेतनमान ₹ 8,000–13,500 (पूर्व संशोधित) एवं वर्तमान वेतन बैण्ड–3 के सापेक्ष वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चम्पावत के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चम्पावत के पद पर पदोन्नत करने के फलस्वरूप उन्हें, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धारित पद के सापेक्ष लोक–सूचना अधिकारी, जजशिप, चम्पावत भी नियुक्त किया जाता है।

श्री महेन्द्र सिंह राणा को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप, चम्पावत का पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सदर मुन्सरिम के पद पर किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति किये जाने तक वे सदर मुन्सरिम के पद का कार्य एवं अन्य कार्य पूर्व की भाँति सम्पादित करते रहेंगे। सदर मुन्सरिम के अतिरिक्त प्रभार के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

लेखालिपिक को आदेशित किया जाता है कि वे श्री महेन्द्र सिंह राणा के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए उन्हें प्रदत्त प्रोन्नत वेतनमान के अनुसार उनके वेतन निर्धारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

प्रेम सिंह खिमाल,
जनपद न्यायाधीश,
चम्पावत।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

06 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2865/टी0आर0/पंजी0नि0/UP76C–0064/2017–वाहन संख्या UP76C–0064 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373011MRQ004715 तथा इंजन नं0 697D22MRQ137431, कार्यालय में श्री सरताज खान एवं बाबू बेग पुत्र श्री नजीर खान एवं रहीस बेग, निवासी संजय नगर, बजरी कम्पनी, लालकुआँ, नैनीताल, हाल मार्फत मौ0 ताहिर पुरानी सोनरी, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 23.02.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP76C–0064 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011MRQ004715 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

14 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2910/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06V–4515/2017–वाहन संख्या UK06V–4515, मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAJBXXMRTBCR45287 तथा इंजन नं0 CR45287, कार्यालय में श्री अदीतेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री ओमवीर उपाध्याय, निवासी एमआईजी 122, भाटिया निवास, नियर सिद्धूबार, आवास विकास, रूद्रपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 03.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06V–4515 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAJBXXMRTBCR45287 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

20 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2926/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38D–5143/2017–वाहन संख्या HR38D–5143 (TRUCK), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 373011DQQ109929 तथा इंजन नं0 697D22DQQ114568, कार्यालय में श्री जियाउलहक पुत्र श्री मौ0 आमील, निवासी गौरीखेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38D–5143 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011DQQ109929 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

20 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2927/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38D–2052/2017–वाहन संख्या HR38D–2052 (TRUCK), मॉडल 1992, चेसिस संख्या 364052408077 तथा इंजन नं0 697D02422666, कार्यालय में श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्री रंग लाल, निवासी 264, आवास विकास, वार्ड नं0 3, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38D–2052 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052408077 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

20 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2940/टी0आर0/पंजी0नि0/HR58–1648/2017–वाहन संख्या HR58–1648 (TRUCK), मॉडल 1997, चेसिस संख्या 373011DSQ714456 तथा इंजन नं0 697D22DSQ748747, कार्यालय में श्री प्रभू दयाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल, निवासी म0 नं0 30, मस्जिद, वार्ड नं0 4, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 09.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR58–1648 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011DSQ714456 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

21 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2949/टी0आर0/पंजी0नि0/DL1LA–7354/2017–वाहन संख्या DL1LA–7354 (DCM TOYATA TRUCK), मॉडल 1997, चेसिस संख्या BU888012671 तथा इंजन नं0 14B1344299, कार्यालय में मैसर्स इन्ट्राच बिल्डिंग प्रा0लि0 प्लॉट नं0 14, सेक्टर 2, सिडकुल, पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 09.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या DL1LA–7354 (DCM TOYATA TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या BU888012671 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

25 मार्च, 2017 ई0

पत्रांक 2982/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06V–4515/2017–वाहन संख्या UK06AG–2801 (LMV CAR), मॉडल 2015, चेसिस संख्या MALBM51RLF138174G तथा इंजन नं0 D4FCFM364743, कार्यालय में श्री अमजद हसन पुत्र श्री इदरीश अहमद, निवासी जनता फुटवेयर बिहाइंड बोरिंग गली, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 21.03.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट तथा वाहन की फोटो ग्राफ प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से जल कर नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06AG–2801 (LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALBM51RLF138174G तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/212–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।